न्यायालय में –श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल कैम्प रीवा संभाग रीवा (म0प्र0)

III / निगरानी / शहडोल / भू.रा. / 2017 / 3258

बेसाहन राठौर उम्र 80 वर्ष पिता स्व0 श्री अकाली राठौर
निवासी ग्राम सिवनी थाना व तहसील जैतहरी जिला अनूपपुर
(म.प्र.).. आवेदक

बनाम

1. मु0 सुनतिया बेवा अब्दुल रज्जाक (मृत)
2. मो0 समी आत्मज अब्दुल रज्जाक उम्र 70 वर्ष
3. मो0 साबिर आत्मज अब्दुल रज्जाक उम्र 67 वर्ष
   सभी निवासी ग्राम जैतहरी वार्ड नं0–3 थाना व तहसील
   जैतहरी जिला अनूपपुर (म.प्र.)
4. संदीप कुमार पिता पवन कुमार अग्रवाल
   निवासी ग्राम जैतहरी वार्ड नं0–8 थाना व तहसील
   जैतहरी जिला अनूपपुर (म.प्र.)
5. श्रीमती सुशीला देवी रजक पति हजारी लाल रजक
   निवासी क्वाटर नं0 ए / 121 गोविंद कालरी सिंगल स्टोरी
   वार्ड नं0–12 तहसील कोतमा जिला अनूपपुर
6. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर शहडोल वर्तमान अनूपपुर......... अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध श्रीमान् कलेक्टर जिला शहडोल (म0प्र0) के राजस्व प्रकरण क्रमांक– 6 / अ–74 / 99–2000 श्रीमती सुनतिया बनाम मध्यप्रदेश शासन में पारित आदेश दिनांक 11.02.2000।

मान्यवर,

निगरानी के आधार

1.यहकि ग्राम सिवनी तहसील जैतहरी जिला शहडोल वर्तमान जिला अनूपपुर के आराजी खसरा नं0–672 का सम्पूर्ण रकवा 4.91 एकड़ है। जिसमें से जुज रकवा 1 एकड़ बेसाहन पिता अकाली राठौर को तहसीलदार सोहागपुर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 42 / अ–19 / 62–63 आदेश दिनांक 26.01.64 के द्वारा आवंटन किया गया था। तब से आवेदक बेसाहन राठौर शांतिपूर्वक काबिज होकर कास्तकारी कर रहा

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—तीन/निगरानी/शहडोल/भू.रा./2017/3258

बेसाहन राठौर विरूद्ध मुस. सुनतिया आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
12/2/2019	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर शहडोल के प्रकरण कमांक 06/अ—74/1999—2000 में पारित आदेश दिनांक 11—02—2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 15—4—2019 को आयुक्त शहडोल के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर.के. जैन) सदस्य 12/02/2019	